केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450, 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 342 शनिवार 6 जुलाई 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

बीईओ ने बिना मान्यता के संचालित आठ स्कूलों को बन्द कराया

–भारतीय बस्ती संवाददात

बस्ती। सोमवार से शुरु हुए नवीन सत्र के आरम्भ से ही गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बन्द कराने का अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत शुक्रवार तक हरैया विकासखण्ड में कुल आठ विद्यालयों को बन्द कराया गया। यह जानकारी देते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी हरैया बडकऊ वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा – निर्देश के क्रम में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराने का अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार तक कुल आठ विद्यालय सीआरडी पब्लिक स्कूल साधुगंज नरायनपुर मिश्र, चंदन मॉडर्न पब्लिक स्कूल रमया, रामकृष्ण एकेडमी केशवापुर, आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर लवदहा, किसान मॉडर्न पब्लिक स्कूल केशवापुर, श्याम किशोर कृपा शंकर इंटर कॉलेज औरौतीदा, लाल बहादुर शास्त्री चिल्ड्रन एकेडमी नरायनपुर मिश्र, एक्सीलेंट चिल्ड्रन एकेडमी नरायनपुर मिश्र बन्द कराए गए हैं। बीईओ ने बताया कि बंद कराए गए विद्यालयों को पूर्व में भी नोटिस जारी की जा चुकी थी। स्कूल पर जाकर बंद कराने के बावजूद स्कूल बार–बार संचालित किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढने वाले बच्चों के अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय तथा वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालय में ही कराएं। यदि आप उक्त कार्य करने में असमर्थ रहे तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। क्योंकि जिन बच्चों की एक बार आईडी जनरेट हो गई उन्हें किसी अन्य कक्षा में बिना टीसी के नामांकित नहीं किया जा सकेगा और जिन बच्चों का नामांकन बिना टीसी के गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में किया जा रहा है उनका भविष्य खराब होगा।

वन महोत्सव जन अभियान के तहत हुआ पौधरोपण

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। वन महोत्सव जन अभियान के तहत एक जुलाई से सात जुलाई तक पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत शुक्रवार को परशुरामपुर ब्लॉक के गौरा पाण्डेय में ब्लॉक प्रमुख शान्ति देवी के नेतृत्व में वन क्षेत्राधिकारी हरैया शारदानन्द त्रिपाठी, खण्ड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह, थानाध्यक्ष तहसीलदार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि श्रीश पाण्डेय और ग्रामवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। प्रमुख प्रतिनिधि श्रीश पाण्डेय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। वृक्षों के महत्व को समझें साथ ही इस महाअभियान में एक पौधा माँ के नाम पर अवश्य लगायें तथा इसका संरक्षण करें। वन क्षेत्राधिकारी शारदानन्द त्रिपाठी तथा खण्ड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि धरती पर जीवन तभी संभव है, जब हरियाली होगी। ऐसे में सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वह अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाएं।

इस अवसर पर संतोष पाण्डेय, राज दत्त शुक्ल, सुनील त्रिपाठी, कौशलाधीश पाण्डेय, हर्ष पाण्डेय, भगवत प्रसाद चौहान, बीपी गौतम, रजनीश पाण्डेय, नवीन पाण्डेय, प्रवीण पाण्डेय, अर्जुन पासवान, सूरज पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

हाथरस घटना दुःखद–आर्य

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। आर्य समाज और आर्य वीर दल ने हाथरस में हुई दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आर्य वीर दल पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रधान संरक्षक ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि हाथरस सत्संग के दौरान हुई दुर्घटना अत्यन्त चिन्ताजनक है व सभ्य समाज के लिए चुनौती है। आज भी समाज में बढ़ता हुआ पाखंड अन्धविश्वास विचारणीय है कि भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर किस प्रकार बहकाया जा रहा है।

मण्डलीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया निर्देशः लापरवाही बर्दाश्त नहीं

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मण्डल स्तरीय अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक किया। इस अवसर पर जनपद सिद्धार्थनगर व संतकबीर नगर के विभागीय अधिकारीगण वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहें। उन्होने स्कूल चलों अभियान की समीक्षा करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों का नामांकन सस्मय कराना सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालयों में शिक्षको की उपस्थिति सस्मय भी सुनिश्चित की जाय। इसके लिए अधिकारीगण विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी करें। उन्होने निर्देश दिया कि बच्चों के यूनिफार्म, कापी–किताब समय से उपलब्ध करा दिया जाय।

विशेष संचारी रोग नियत्रण/दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होने समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पतालों में समुचित साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय, अगर डाक्टरों की कमी है तो स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से योग्य चिकित्सको की तैनाती की जाय। उन्होने दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का भी निर्देश दिया।

बाढ से बचाव की समीक्षा करते

हुए उन्होने समस्त जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संवेदनशील/अतिसंवेदनशील तटबंधों की निगरानी रखी जाय। उन्होने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व ही समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जाय, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाये। उन्होने कहा कि राहत सामग्री वितरण के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाये। संपर्दक के मामलों में पीड़ित को तत्काल उपचार दिया जाये।

उन्होने वृक्षारोपण महाअभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष पौध रोपण किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि पौधों का वितरण जिम्मेदार व्यक्तियों को किया जाय, जो पौध रोपण करने के साथ–साथ इनका देख–भाल कर सकें। उन्होने जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पौधों को गोद लेने को कहा। पौध रोपण करते समय अपने नाम का पट्टिका लगायी जाय और यह प्रण लिया जाय हम इसकी देखभाल करेंगे।

मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों का निस्तारण, मुकदमा, पैमाइश की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष व 5 वर्ष से अधिक लम्बित मुकदमों का निस्तारण समयबद्धता के साथ मेरिट के आधार पर किया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही है, अन्यथा की स्थिति में संबंधित की जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होने आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत निर्देश दिया कि अभी से ही कार्ययोजना बना ली जाय। उन्होने कहा कि मोहर्रम में अशत्र–शस्त्र पूर्णता प्रतिबन्ध रहेंगा। मोहर्रम के दौरान जुलुस पर कड़ी निगाह रखे तथा लिखित रूप में अनुमति ले लिया जाय। उन्होने कहा कि नयी परम्परा ना शुरू हो इसका ध्यान रखा जाय। उन्होने कहा कावड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई मानक के अनुसार ही रखी जाय।

उन्होने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय, पीडित के तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय। उन्होने महिला सुरक्षा के लिए निर्देशित किया कि भीड़ वाले स्थानों पर वर्दी में तथा बिना वर्दी में पुलिस की तैनाती की जाय। उन्होने पेट्रोलिंग करने का भी निर्देश दिया है।

कृषि विज्ञान केन्द्र की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि किसानों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाय। उन्होने निवेशमित्र, एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की समीक्षा किया। उन्होने कहा कि पात्र उद्यमियों को चिन्हित करते हुए ऋण वितरण किया जाय। उन्होने कहा कि बैंक के साथ बैठक में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय। अधिक निवेश होने से जनपद की जी.डी.पी. भी बढ़ेगा।

जलजीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि कार्य को गुणवत्तापूर्ण किया जाय। पाईप डालने हेतु सड़क के किनारे खोदे गये गड्ढे को कार्य समाप्त हो जाने के बाद तत्काल मिट्टी भरायी करा दिया जाय। उन्होने कहा कि सड़को से अतिक्रमण हटाया जाय तथा अवैध टैक्सी स्टैण्ड वसूली ना होने पाये। उन्होने सड़को को गड्ढामुक्त करने का निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिया।

उन्होने मण्डलायुक्त, तीनों जनपद के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जनता दर्शन में फरियादियों की समस्या को सुने, अगर कोई अधिकारी किसी काम से बाहर रहता है तो उसके स्थान पर दुसरे अधिकारी को नामित किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि समय–समय पर कार्यालयों का निरीक्षण किया जाय। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गहनता से सुने तथा उसका निराकरण किया जाय।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को सुना तथा इसके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होने आयुक्त परिसर में पौधरोपण भी किया। बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्य, उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग/जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान, सांसद सिद्धार्थनगर जगदम्बिका पाल व सांसद संतकबीरनगर, विधायक हर्रैया अजय सिंह, महादेवा के दूधराम, सदर के महेन्द्र नाथ यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष बस्ती संजय चौधरी, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीर नगर, जिलाध्यक्षा विवेनानन्द मिश्र, अपर पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह, आईजी आर.के. भारद्वाज, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, सीडीओ जयदेव सीएस, संयुक्त विकास आयुक्त संत कुमार, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी, संयुक्त निदेशक, कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, सीएमओ डा. आर.एस. दुबे, जिला, महिला एवं ओपेक कैली अस्पताल के सीएमएस तथा मण्डलीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला ब्लाक प्रमुखों का प्रतिनिधि मण्डल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रमुख संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट किया।

प्रमुख संघ के बस्ती मंडल के अध्यक्ष यशकांत सिंह की अगुआई में जिले के सभी प्रमुखों से मुख्यमंत्री ने भेंट किया और उन्हें विकास खंड के समस्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन भी दिया। उक्त अवसर पर यशकांत सिंह ने अपने विकास खण्ड रामनगर की प्रगति पुस्तिका मुख्यमंत्री को भेंट किया। इसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पारदर्शिता लागू करने का प्रयास अनुकरणीय है। सभी को ऐसी प्रगति पुस्तिका बनानी चाहिए।

बीएनटी लाइव के नौवें स्थापना दिवस पर पत्रकारिता के दशा– दिशा पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जन सरोकारों से ही पत्रकारिता सबल होगी। समाज की जिम्मेदारी है कि पत्रकारिता की मजबूती के लिये योगदान दें जिससे पत्रकारिता की धार और धारा सबल हो। पत्रकार ही हमें बताते हैं कि देश समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिये। यह विचार वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सांकृत्यायन ने व्यक्त किया। वे शुक्रवार को प्रेस क्लब सभागार में बीएनटी लाइव के नौवें स्थापना दिवस पर आयोजित 'डिजिटल युग में पत्रकारिता की दशा–दिशा' संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर अनेक साहित्यकारों, समाजसेवियों, पत्रकारों को उनके योगदान के लिये बीएनटी लाइव के सम्पादक राजेश पाण्डेय के संयोजन में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार त्रिभुवन प्रसाद मिश्र एवं संचालन प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने किया।

'डिजिटल युग में पत्रकारिता की दशा–दिशा' संगोष्ठी में वी.के. वर्मा ने कहा कि समय के साथ माध्यम बदलेंगे किन्तु हमें जन सरोकारों से जुड़े रहना होगा। पत्रकार राजेन्द्र नाथ तिवारी ने कहा कि पत्रकारों को जन सरोकारों से जुड़ना होगा। उन्हें और अधिक पारदर्शी होना होगा, समाचारों के त्वरित प्रेषण में सावधानी आवश्यक है। राजकीय कन्या इण्टर कालेज की पूर्व प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने कहा कि पत्रकारिता जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बेगम खैर गर्ल्स इण्टर कालेज की प्रधानाचार्य मुस्लिमा खान ने कहा कि पत्रकारिता त्याग का क्षेत्र है। उन्होने कहा कि बिना सहयोग के पत्रकारिता संभव नहीं है। समाजसेवी अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि डिजिटल मीडिया ने भारतीय पत्रकारिता को विश्व व्यापी बना दिया है ऐसे में समाचारों के प्रेषण का स्तर बेहतर बनाना होगा। वरिष्ठ कवि डा. रामकृष्ण लाल जगमग ने विस्तार के साथ पत्रकारिता के विविध रूपों पर चर्चा करते हुये कहा कि अभिव्यक्ति का माध्यम चाहे जो हो हमें विश्वसनीयता बनाये रखना होगा। संगोष्ठी को त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, अशोक कुमार श्रीवास्तव, आदि ने सम्बोधित किया।

इस अवसर पर जगदीश्वर प्रसाद 'ओम जी' अंकुर वर्मा, डा. वी. के. वर्मा, रामकृष्ण लाल 'जगमग' दिनेश सांकृत्यान, प्रदीप चन्द्र पाण्डेय, बसंत चौधरी, डा. दीनानाथ पटेल, राना दिनेश प्रताप सिंह, अरविन्द पाल, महेन्द्र तिवारी, रियाज अहमद, अशोक श्रीवास्तव, रामसजन यादव, अनुराग श्रीवास्तव, एस.पी. श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, जीशान हैदर रिजवी, रीता पाण्डेय, संध्या दीक्षित, नीलम श्रीवास्तव, राकेश तिवारी, एल.के. पाण्डेय, मो. आरिफ, ई. वीरेन्द्र कुमार मिश्र, राकेश चतुर्वेदी, संजीव पाण्डेय, शानू एन्टोनी, दयाराम चौधरी, संजय प्रताप जायसवाल, जे.पी. तिवारी, सन्तोष सिंह, महेन्द्र श्रीवास्तव, राघवेन्द्र मिश्र, अभय पाण्डेय, मुस्लिमा खातून, अरूण कुमार, वशिष्ठ पाण्डेय, शकील खान, वकील सिद्दीकी, अखिलेश यादव, तबरेज आलम, मनीष मिश्रा, विजय चौधरी, वृजेश पाण्डेय, उमंग प्रताप सिंह, लवकुश सिंह , अजय कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार पाण्डेय, अमर सोनी, राजेश चित्रगुप्त, राम बाबू श्रीवास्तव, रेखा चित्रगुप्त, मनीष कुमार, रामप्रीत वरूण, ओंकार चतुर्वेदी, कपीश मिश्र, गौहर अली, सरदार गुरमीत सिंह, मुकेश चौधरी, आदि को अंग वस्त्र, प्रमाण–पत्र, स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। आभार ज्ञापन सम्पादक राजेश पाण्डेय ने किया, कहा कि जन सरोकारों पर केन्द्रित पत्रकारिता उनका लक्ष्य है। कार्यक्रम में संदीप गोयल, डा. सत्यव्रत, आलोक श्रीवास्तव, दिलीप चन्द्र पाण्डेय, अरूणेश श्रीवास्तव के साथ ही अनेक समाजसेवी, पत्रकारगण उपस्थित रहे।

-सम्मानित हुई विभूतियांः पत्रकारों को जन सरोकारों से जुड़ना होगा- दिनेश सांकृत्यायन

कीर स्टार्मर बिट्रेन के नये प्रधानमंत्री

लंदन (आभा)। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर शुक्रवार को बकिंघम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। ब्रिटेन के ऐतिहासिक आम चुनाव में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। 61 साल के लेबर नेता स्टार्मर अपनी पत्नी विक्टोरिया स्टार्मर के साथ राजमहल पहुंचे। निवर्तमान नेता ऋषि सुनक ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को इतिहास की सबसे बुरी चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले, ऋषि सुनक ने महाराजा से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में 'राष्ट्रीय नवीनीकरण' के एक चरण का वादा किया है। शुक्रवार को सुबह लेबर पार्टी को संसद में बहुमत के लिए आवश्यक 326 सीटों पर जीत मिल गई।

हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी

हाथरस (आभा)। कांग्रेस सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखना आए। यहां उन्होंने हाथरस हादसे के चारों मृतकों के परिवारों से मिलकर सांत्वना दी। राहुल गांधी वहां से हाथरस ग्रीन पार्क पहुंचे, जहां पर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की।

दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी खैर पहुंचे, खैर कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चौक पर जोरदार स्वागत किया। वहां के बाद राहुल गांधी अकराबाद के पिलखना गांव पहुंच गए। राहुल गांधी ने हाथरस सत्संग हादसे के चारों मृतकों मंजू पत्नी छोटे लाल, पंकज पुत्र छोटे लाल, प्रेमवती और शांति देवी पत्नी विजय सिंह के घर पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और घटना को दुखद बताया।

उन्होने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घटना के लिये प्रशासन भी जिम्मेदार है। कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को उदारता से मुआवजा देने की घोषणा करना चाहिये। उन्होने सत्संग में हुई भगदड़ की घटना के बारे में जानकारी की। राहुल गांधी ने कहा कि मामले को संसद में उठाया जाएगा, कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है। उनके साथ में कांग्रेस–सपा के पदाधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे।

गांधीनगर में मल्टी लेबल पार्किंग सहित सड़क, सीवर निर्माण हेतु पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने मुख्यमंत्री को सौंपा तीन प्रस्ताव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये तीन प्रस्ताव सौंपा।

नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि पालिका द्वारा मालवीय रोड के निर्माण, सीवर लाइन और गांधीनगर में मल्टी लेवल पार्किंग कराये जाने हेतु प्रस्ताव और बजट स्वीकृत कराने का आग्रह किया। बताया कि मुख्यमंत्री ने तीनों प्रस्तावों को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया है।

पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि नगर पालिका के समुचित विकास के लिये उनके स्तर पर निरन्तर प्रयास जारी है। शहर में साफ–सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क, नाली, खण्डजा निर्माण के साथ ही सभासदों से विचार विमर्श कर विकास कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं। बताया कि शासन स्तर पर कई प्रस्ताव लम्बित हैं। उनके स्वीकृति के साथ ही और तेजी से विकास कार्य पूरे कराये जायेंगे। मालवीय रोड के निर्माण हेतु प्रयास जारी है और स्टेशन रोड का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करा दियार जायेगा। मुख्यमंत्री को तीन प्रस्ताव सौंपने के दौरान नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी सत्येन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे।

साहित्य साधना में समर्पित 8 पुस्तकों के रचयिता डॉ. रामकृष्ण लाल 'जगमग' के योगदान पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पिछले 5 दशक से साहित्य साधना में समर्पित 8 पुस्तकों के रचयिता और दुमदार दोहों के जनक 72 वर्षीय डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' के रचना संसार और व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रेस क्लब सभागार में गोष्ठी के साथ ही राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य भूषण डा. राम नरेश सिंह मंजुल और संचालन डा. अफजल हुसेन अफजल ने किया। संगोष्ठी में वक्ताओं और कवि, शायरों ने डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' को अंग वस्त्र भेंट करने के साथ ही फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया।

साहित्यिक संस्था अदबी संगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक दिनेश सांकृत्यायन ने कहा कि डॉ. जगमग की साहित्य यात्रा स्वंय में विविधता लिये हुये है. उनकी कृति 'चाशनी' से लेकर ' किसी की दिवाली किसी का दिवाला' विलाप खण्ड काव्य, 'हम तो केवल आदमी हैं ' सच का दस्तावेज' 'बाल सुमन' आदि कृतियों में वे कभी हास्य तो कभी गंभीर दर्शन के रूप में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त करते हुये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा कि इन दिनों वे 'स्वामी विवेकानन्द' पर केन्द्रित महाकाव्य का सृजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका साहित्यिक संसार घोर तमस में समाज का पथ पदर्शन करेगा।

कवि एवं चिकित्सक डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि डा. जगमग ने जहां स्वयं अनेकों कृतियां समाज को दिया

-नयी पीढी के साहित्यकारों के लिये मार्ग दर्शक हैं डॉ. जगमग- डॉ. राम नरेश सिंह मंजुल -कवि सम्मेलन में गूंजे कवियों के विविध स्वर

वहीं वे पूर्वान्चल में समर्थ कवियों की पीढी तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह कठिन कार्य है, नई पीढी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेन्द्रनाथ तिवारी ने कहा कि डा. जगमग का रचना संसार जन सरोकारों से जहां सीधा जुड़ा है वहीं उनके कटाक्ष और तीखे व्यंग्य श्रोताओं की जुबान पर चढ़े हुये है। समाजसेवी राना दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डॉ. जगमग का रचना संसार व्यापक है। डॉ. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि डॉ. जगमग का जीवन साहित्य को समर्पित है. कवि सम्मेलनों में वे आम आदमी की भावना को सहज रूप में छू जाते हैं। अदबी संगम, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति और विकमशील हिन्दी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा विभिन्न अलंकरणों से किये गये सम्मान से अभिभूत डा. जगमग ने कहा कि उन्होने जिस तरह से जीवन को देखा उसे शब्दों में उतार दिया. यह क्रम अनवरत जारी है। कहा कि स्वामी विवेकानन्द पर केन्द्रित महाकाव्य की रचना शीघ्र पाठकों के सम्मुख होगी। नौवी पुस्तक के रूप में 'हम बच्चे भारत की शान' बाल काव्य संग्रह प्रकाशन प्रक्रिया में है। पत्रकार प्रदीप चन्द्र पाण्डेय, प्रेस क्लब अध्यक्ष एवं शायर विनोद उपाध्याय ने कहा कि देश विदेश के कवि मंचों पर अनिवार्य स्थान बना चुके डा. जगमग नयी पीढी के लिये साहित्य की पाठशाला हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉ. राम नरेश सिंह 'मंजुल' ने कहा कि डा. जगमग साहित्य के क्षेत्र में नयी पीढी के मार्गदर्शक हैं।

इस अवसर पर वी.के. मिश्र, राजेश कुमार, श्याम प्रकाश शर्मा, बटुकनाथ शुक्ल, डा. एल.के. पाण्डेय, फूलचंद चौधरी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, हरीराम वंसल, जय प्रकाश गोस्वामी, आदि ने डॉ. राम कृष्ण लाल 'जगमग' के साहित्यिक योगदान के विविध पहलुओं को रेखांकित किया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में आयोजित कवि सम्मेलन में डा. ज्ञानेन्द्र द्विवेदी 'दीपक' डा. अंजना कुमार, एं. चन्द्रबली मिश्र, अर्चना श्रीवास्तव, मशहूर शायर वसीउल हक 'वसी', मकसूद वस्तवी, असद बस्तवी, जगदम्बा प्रसाद 'भावुक', हरिकेश प्रजापति, डा. राजेन्द्र सिंह 'राही', विनोद उपाध्याय, डा. वी.के. वर्मा, रहमान अली 'रहमान' श्रीमती चन्द्रमती चतुर्वेदी आदि ने रचनाओं के माध्यम से वातावरण को सरस कर दिया। देर तक चले कार्यक्रम में बडी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 6 जुलाई 2024 शनिवार

सम्पादकीय

हेमन्त सोरेन की वापसी

जैसी कि संभावना जताई जा रही थी, जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जिस जल्दबाजी में उन्होंने गुरुवार को शपथ ग्रहण किया, उसे सामान्य नहीं कहा जाएगा। हेमंत सोरेन ही नहीं, जेएमएम का भी कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है और यह कि लोकसभा चुनावों से ऐन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजने की जिद के पीछे मंशा यही थी कि राज्य में और विपक्षी गठबंधन इण्डिया को ज्यादा सीटें न मिल सकें। अब जब हाईकोर्ट के आदेश से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं तो पार्टी, गठबंधन और सरकार उनके योग्य तथा सक्षम नेतृत्व से क्यों वंचित रहें।

दिक्कत यह है कि कुछ ऐसे सवाल और मुद्दे भी इस मामले से जुड़े हैं जिन्हें फिलवक्त जेएमएम और इण्डिया के नेता अनदेखा कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या एक खास परिवार से बाहर के लोगों का स्थान जेएमएम में 'फिलर' जैसा ही है कि जब जरूरत हो वे किसी का स्थान भरने आ जाएं और फिर जरूरत पूरी होते ही हटा दिए जाएं। जाहिर है, विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, बल्कि बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में इस सवाल की असरदार काट तैयार करना श्रडड के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों को लेकर चाहे कुछ भी कहा जाए, यह एक तथ्य है कि देश की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है, जिसका झूठ—सच सामने आना अभी बाकी है। हेमंत सोरेन अभी जमानत पर बाहर आए हैं। खबरें बताती हैं कि ईडी उन्हें मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सोच रही है। ऐसे में क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके खिलाफ नहीं आएगा और दोबारा उनके जेल जाने की स्थिति पैदा नहीं होगी?

सबसे ऊपर है राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा। हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों की सचाई चाहे जो भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक राजनीतिक मामला भी है। जो व्यक्ति राज्य के मतदाताओं द्वारा चुनी गई सरकार का नेतृत्व कर रहा था, उस पर एक राष्ट्रीय एजेंसी ने गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जमानत पर छूटते ही दोबारा पद पर बैठने के बजाय वह पहले लोगों का फिर से विश्वास हासिल करने पर ध्यान देते, तो न केवल अपना कद ऊंचा करते बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी नई ऊंचाई देते।

हेमंत सोरेन की जेल से वापसी के एक सप्ताह के भीतर घटनाक्रम कुछ इस कदर बदला कि वे सीएम की कुर्सी संभालने के साथ—साथ अपनी रौ में पूरी तरह वापस लौट आए हैं। इससे उनके दल के साथ—साथ गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में भी उत्साह है। गठबंधन के विधायकों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस ने आम सहमति बनाने से लेकर राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करने में हेमंत सोरेन का साथ दिया तो इसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापस लौटने का दबाव है। हेमंत सोरेन के समक्ष कोई चुनौती नहीं है। गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव की तरह उनके चेहरे को आगे कर ही चुनाव लड़ेगा। उनके फिर से सत्ता संभालने से कांग्रेस में उत्साह की बड़ी वजह लोकसभा चुनाव का परिणाम है। कांग्रेस डबल हो गई, जबकि झामुमो के हिस्से में भी तीन सीटें आईं। सभी पांच आदिवासी सुरक्षित सीटों पर कब्जे की एक बड़ी वजह हेमंत सोरेन के जेल जाने से पैदा हुई सहानुभूति को भी माना जा रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की मौजूदगी आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दलों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। सत्ता हस्तांतरण में भी कांग्रेस की सक्रियता इसी कारण दिखी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर यहां जमे रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हर कदम पर हेमंत सोरेन के साथ दिखे। यह भी उल्लेखनीय है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने दो कद्दावर नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा सरमा को जिम्मा सौंपकर गठबंधन को सतर्क कर दिया है। दोनों ने यहां जमीनी स्तर पर काम भी आरंभ कर दिया है। ऐसे में गठबंधन में हेमंत सोरेन के फिर सत्ता संभालकर पूरी तरह एक्शन में आने से गठबंधन में नए उत्साह का संचार हुआ है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इण्डिया गठबंधन झारखण्ड में कितना सफल हो पायेगी।

विपक्ष के कर्तव्य और लोकतंत्र की मजबूती

—विश्वनाथ सचदेव—

आखिरकार लोकसभा में विपक्ष के नेता की आवाज सुनाई दे ही गयी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी पहले संसद में बोले नहीं, पर तब वह कांग्रेस के एक नेता के रूप में ही बोलते थे, पर अब उनकी आवाज पूरे विपक्ष की आवाज मानी जायेगी और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, 'लोकतांत्रिक परंपराओं का तकाजा है कि वे नेता प्रतिपक्ष की बात ध्यान से सुनें', सोमवार को लोकसभा में दिये गये राहुल गांधी के भाषण को इस दृष्टि से देखा—सुना जायेगा। पिछले दस साल में हमारी लोकसभा में प्रतिपक्ष तो था पर नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष किसी को नहीं चुना जा सकता था। चुनावों में भाजपा को मिली सफलता इतनी 'भारी' थी कि विपक्ष की आवाज दब—सी गयी थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मतदाता ने भाजपा को सदन में सबसे बड़ा दल तो चुना है, पर उसे इतनी ताकत नहीं दी कि वह अपनी मनमानी कर सके।

आज देश में एक मिली—जुली सरकार है। बैसाखियों के सहारे चल रही है भाजपा के नेतृत्व वाली यह सरकार। भाजपा को सबसे बड़े दल के रूप में चुनने वाले मतदाता ने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी हैं कि उसका नेता सदन में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम कर सके। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष का यह संतुलन जनतंत्र को मजबूत बनाने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा का नेतृत्व स्थिति को समझते हुए जनतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप कार्य करेगा और विपक्ष से भी यही उम्मीद की जाती है कि वह सकारात्मक भूमिका निभायेगा।

संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में हुई बहस से देश को ऐसी ही उम्मीद जगी है। चूंकि लोकसभा में दस साल बाद कोई नेता प्रतिपक्ष बना है इसलिए यह उत्सुकता होनी स्वाभाविक थी कि राहुल गांधी सदन में क्या और कैसे कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात लगभग सौ मिनट में पूरी की और ऐसे अनेक मुद्दे उठाये जो मतदाता को सीधा प्रभावित करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उसने बहुतों को प्रभावित किया होगा। यह कतई जरूरी नहीं है कि उनकी बातों से सहमत हुआ ही जाये, पर इतना तो स्वीकारना ही होगा कि राहुल गांधी ने अपनी बात मजबूती से देश के सामने रखी है और जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं वह सत्तारूढ़ गठबंधन को बेचैन करने वाले हैं। यह बात अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी के वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत छह केंद्रीय मंत्रियों को खड़े होकर प्रतिवाद करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

यही नहीं, गृहमंत्री ने तो स्पीकर महोदय से यह कहना भी जरूरी समझा कि वे विपक्ष के प्रति अधिक उदार हो रहे हैं! यह भी मांग की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कही गयी बातों को सत्यापित कराया जाये। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया था कुल मिलाकर वही बातें की थीं जो विपक्ष अर्से से कहता आ रहा है। मसलन, मणिपुर में हुआ घटनाक्रम और प्रधानमंत्री का साल भर तक वहां न जाना, नीट परीक्षा में हुआ घोटाला, सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना, किसानों को न्यूनतम दरों की गारंटी का सवाल, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं ।

लेकिन नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने सदन में जिस तरह इन मुद्दों को सामने रखा है वह सत्तारूढ़ पक्ष को विचलित करने वाला था। लेकिन एक मुद्दा जो सर्वाधिक विवादास्पद हो सकता है, वह धर्म को लेकर था। जब उन्होंने यह कहा कि 'स्वयं को हिंदू कहने वाले ही हिंसा की बात करते हैं' तो प्रधानमंत्री समेत समूचे सत्तारूढ़ पक्ष को जैसे कुछ कहने का आधार मिल गया। गृहमंत्री ने तो इस कथन के लिए राहुल गांधी से क्षमा मांगने के लिए भी कहा। निश्चित रूप से यह मुद्दा आने वाले कुछ दिन तक हमारी राजनीति पर छाया रहेगा, पर यह कहकर कि प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा या संघ ही हिंदू नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष ने अपने कथन को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने कहा, 'हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसक और भय मुक्त होने की बात कही है३ पर आज जो स्वयं को हिंदू कहते हैं वे हिंसा, घृणा संस्कृति की बात ही करते हैं३ आप हिंदू हो ही नहीं सकते।' हिंदुत्व का ठेका लेने वालों को भला यह बात कैसे स्वीकार हो सकती है, शोर मचना तो स्वाभाविक है। शोर तो इस बात पर भी मचेगा कि नेता प्रतिपक्ष धार्मिक आदि के चित्र लेकर क्यों आये?

बहरहाल, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का यह भाषण हमारी राजनीति में बहुत दिन तक गूंजेगा। भाजपा एक अर्से से, कम से कम पिछले दस साल से, यह असफल कोशिश करती रही है कि राहुल गांधी को राजनीति के लिए अपरिपक्व समझा जाये। पर आज सदन में उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब वह पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। अपनी भारत जोड़ो यात्राओं के माध्यम से भी वह यह जताने में सफल रहे कि अब वह जन—मानस से सीधे जुड़ने की कला सीख चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके इस भाषण ने नई उम्मीद जगायी है। कोई जरूरी नहीं कि उनकी हर बात से सहमत हुआ जाये, पर यह समझना जरूरी है कि उनकी बातों में दम है। अब वह पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।

एक और बात जो रेखांकित की जानी चाहिए, वह जनतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका के बारे में है। एक कमजोर विपक्ष जनतंत्र के लिए किस तरह खतरनाक हो सकता है, यह बात हम पिछले दस साल में देख चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा सत्ता के बेलगाम होने का होता है। जनतंत्र में प्रतिपक्ष का काम सत्ता के क्रिया—कलाप पर नजर रखने का होता है। कमजोर प्रतिपक्ष यह काम आशा और आवश्यकता के अनुरूप नहीं कर सकता। यह स्थिति सत्ताधारी में अहंकार लाने वाली होती है। इसीलिए यह कामना की जाती है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में एक संतुलित समीकरण बने। इस संतुलन में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष जागरूक हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे, यह सफल जनतंत्र की एक महत्वपूर्ण शर्त है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के दौरान विपक्ष की सजगता और सक्रियता के संकेत मिले हैं। वहीं यह भी जरूरी है कि सदन में जो कुछ कहा जाये, वह ठोस आधार पर हो। विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी तैयारी के साथ सदन में आये। अधूरे तर्क और अनावश्यक नाटकीयता से बचा जाये। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के पहले भाषण में कहीं—कहीं अति नाटकीयता का दिखना कोई अच्छा संकेत नहीं है। पता नहीं किसने उन्हें देवताओं के चित्र सदन में ले जाने की सलाह दी है, पर यह बचकाना हरकत है, नेता प्रतिपक्ष ऐसी हरकतों से बचेंगे तो हमारे जनतंत्र की मजबूती बढ़ेगी।— लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

हाथरस के गुनहगारों पर हो कार्रवाई

—रोहित माहेश्वरी—

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में कथित 'भोले बाबा' का सत्संग सामूहिक मौत में तबदील हो गया। सत्संग एक स्वयंभू बाबा का था, जिनके श्रद्धालुओं में मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अफसर भी शामिल हैं। हाथरस जिले के सत्संग में तब भगदड़ मच गई, जब गरीब, आम आदमी, महिलाएं आदि भक्त 'भोले बाबा' के पांव छूना चाहते थे। सत्संग की भीड़ में बाबा का आशीर्वाद लेने की होड़ लगी थी। वह होड़ ही भगदड़ में तबदील हो गई। वहां कुछ फिसलन थी, गड्ढा था, लिहाजा लोग फिसल कर एक के ऊपर एक गिरने लगे। वे आपस में रौंद भी रहे थे। भीड़ में इतनी हड़बड़ी थी कि लोगों ने इनसानों को ही कुचल दिया। अंततः सत्संग 121 मौतों के साथ त्रासदी में बदल गया। करीब 35 घायल हो गए।

ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। कितने घर अनाथ हो गए। कितने घरों की 'देवियां' नहीं रहीं। बताया गया है कि 108 महिलाओं की मौत हुई है। सवाल यह है कि क्या कथित 'भोले बाबा' और उनके सेवादार आयोजकों के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या' का केस दर्ज किया गया है अथवा कोई संभावना है? मुख्य सेवादार और कुछ अन्य पर प्राथमिकी तो दर्ज की गई है। प्राथमिकी में 'भोले बाबा' का नाम क्यों नहीं है? बताया जाता है कि करीब 1.25 लाख की भीड़ सत्संग में आई थी। दूसरा पक्ष 2.5 लाख की भीड़ का दावा कर रहा है। संख्या को लेकर राज्य के मुख्य सचिव, इलाके के आईजी, डीएम और एसडीएम आदि के अलग—अलग बयान हैं।

सवाल हैं कि यदि स्थानीय प्रशासन ने सत्संग की अनुमति दी थी, तो क्या पर्याप्त बंदोबस्त देखे गए थे? जल, चिकित्सा, दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस और प्रवेश—निकास दरवाजों आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया था? क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था? एडीजी ने दावा किया है कि मौके पर 40 पुलिस वाले थे। क्या इतनी भीड़ के लिए 40 पुलिस वाले पर्याप्त थे? क्या छोटे से गांव में भीड़ का सैलाब देखकर प्रशासन और पुलिस सतर्क नहीं हुए, लिहाजा बंदोबस्त नहीं किए जा सके।

एसडीएम दफ्तर का कहना है कि 50 हजार की भीड़ बताई गई थी, लेकिन 80 हजार से ज्यादा लोग पहुंच गए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हमें कार्यक्रम का जो पत्र मिला था, उसमें भीड़ का कॉलम खाली था। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के बयान कुछ और ही हैं। प्रशासन के स्तर पर ये विरोधाभास क्यों हैं? आखिर किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है? ऐसे धार्मिक और बाबाओं के आयोजनों में लोग आस्था और कष्ट निवारण की भावना से आते हैं। बेशक धर्मगुरु हों, सामाजिक नेता हों, प्रभावी लोग या आयोजक, हजारों—लाखों की भीड़ जुटा कर उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देते हैं। सरकारें और प्रशासन भी इन कथित बाबाओं पर हाथ नहीं डालते।

कोरोना महामारी के दौरान इसी 'भोले बाबा' ने उप्र के फर्रुखाबाद में सत्संग किया था। उसमें भी खूब भीड़ जुटाई गई थी। सरकार और प्रशासन ने उस सत्संग की इजाजत कैसे दे दी थी? घटनास्थल का दृश्य इतना भयावह, हृदयविदारक, विचलित करने वाला था कि एक पुलिस कर्मी रवि यादव को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। हम कथित 'भोले बाबा' को बुनियादी गुनहगार मानते हैं। वह और उनके सेवादार तो अस्पताल तक नहीं पहुंचे कि उनके श्रद्धालु जीवित हैं अथवा दिवंगत हो चुके हैं!

बहरहाल आने वाले दिनों में जांच के बाद किसी के सिर पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा जाएगा। मगर इन मौतों का कसूरवार कौन है? जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी कमी कैसे पूरी होगी? बताते हैं कि प्रवचन करने वाले बाबा नदारद हैं। कहा जा रहा है कि यह एक निजी कार्यक्रम था, कानून व्यवस्था के लिये प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन आयोजन स्थल पर भीतरी व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जानी थी। बड़े अधिकारियों का घटना स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन हकीकत है कि हम पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखते। हाल के दिनों में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में लोगों के मरने के मामले लगातार बढ़े हैं।

सवाल उठना स्वाभाविक है कि भीड़ के बीच होने वाले हादसों को कैसे रोका जाए। दो साल पहले माता वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ में बारह श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अप्रैल 23 में बनारस की भगदड़ में 24 लोग मरे थे। इंदौर में पिछले साल रामनवमी के दिन बावड़ी की छत गिरने से पैंतीस लोग मर गये थे। इसी तरह 2016 में केरल के कोल्लम के एक मंदिर में आग लगने से 108 लोगों की मौत हुई और दो से अधिक घायल हुए थे। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन देख रहे साठ लोगों के ट्रेन से कुचलकर मरने की घटना को नहीं भूले हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में हादसे की रपट मांगी थी। वह उन्हें मिल चुकी होगी! वह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हाल—चाल पूछा। हाथरस में भगदड़ के मामले में यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजन में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जबकि, एक लाख का इनामी मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर फरार है। योगी सरकार ने हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह आयोग के सदस्य हैं। टीम 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के सुझाव भी देगी।

बाबा कहां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। वह कब तक भूमिगत रहेंगे? आखिर प्राथमिकी में उनका नाम क्यों नहीं है? एक इनसान और देश के नागरिक की कीमत 2—4 लाख रुपए नहीं है। मुद्दा और सवाल समुचित व्यवस्था और संवेदनशीलता का है। अंधविश्वास को लेकर हम किसी को कुछ भी राय नहीं दे सकते। आखिर बाबा के पांव की धूल में कौनसा कल्याण निहित है?

वर्तमान युग विज्ञान का है। बच्चों को शुरू से ही चमत्कार और अंधविश्वास से दूर करना होगा। सच्चे साधु संतों का सम्मान और श्रद्धा तो अच्छी बात है, परंतु जादू टोना, और चमत्कार जैसे अंधविश्वास से दूर रहना होगा। संचार के माध्यमों के जरिए ढोंगी बाबाओं की पोल खोलनी चाहिए। फर्जी बाबाओं पर लगाम के लिए प्रशासन के साथ आम जनता को भी सक्रिय होना पड़ेगा। हर भगवाधारी, तिलकधारी या भभूत लगाए हुए आदमी को बाबा मान लेना एवं उसका यशोगान करना ठीक नहीं है। फर्जी बाबाओं से दूर रहना चाहिए। सरकार को फर्जी बाबाओं पर लगाम के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और सख्त सजा का प्रावधान रखना चाहिए। मीडिया को भी फर्जी बाबाओं के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिए।

देश में भीड़ की भगदड़ से होने वाले 70 फीसदी हादसे धार्मिक आयोजनों के दौरान ही होते हैं। इसे रोकने को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कुछ गाइड लाइन्स जारी की थी। जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों, प्रशासन व आयोजकों को दिशा—निर्देश दिए गए थे। जिसके लिये भीड़ प्रबंधन से जुड़े लोगों की क्षमता विकसित करने व बेहतर प्रशिक्षण का सुझाव शामिल था। प्रशासन से भीड़ के व्यवहार व मनोविज्ञान का अध्ययन कर भीड़ प्रबंधन की बेहतर तकनीक विकसित करने को कहा गया था। जिसमें तिरुपति मंदिर हेतु आईआईएम अहमदाबाद की व्यवस्था की केस स्टडी भी शामिल थी। पुलिस को भी सख्ती के बजाय अच्छे व्यवहार के लिये कहा गया था। मगर रिपोर्ट का आज भी जमीन पर असर होता नहीं दिख रहा है।

मानसून का बदलता मिजाज

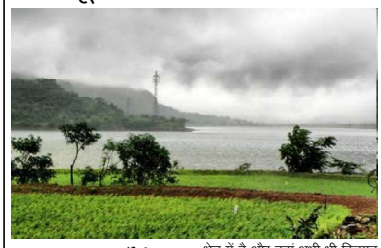

—पंकज चतुर्वेदी —

भारत में इस बार जून में सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई जबकि गर्मी ने 122 साल का रिकार्ड तोड़ दिया। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जो लंबी अवधि के औसत (एल.पी.ए.) 28.04 सें.मी. से 106 प्रतिशत अधिक रह सकती है। गौर करें अभी भारतीय कैलेंडर के अनुसार यह हाल आषाढ़ महीने का है और आगे सावन—भादों बचा है। भारत सरकार के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 3 साल पहले तैयार पहली जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट में स्पष्ट चेताया गया था कि तापमान में वृद्धि का असर भारत के मानसून पर भी कहर ढा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ऊपर ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा (जून से सितम्बर) में 1951 से 2015 तक लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो भारत—गंगा के मैदानों और पश्चिमी घाटों पर चिंताजनक हालात तक घट रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्मियों में मानसून के मौसम के दौरान सन 1951—1980 की अवधि की तुलना में वर्ष 1981—2011 के दौरान 27 प्रतिशत अधिक दिन सूखे दर्ज किए गए। इसमें चेताया गया है कि बीते 6 दशक के दौरान बढ़ती गर्मी और मानसून में कम बरसात के चलते देश में सूखा—ग्रस्त इलाकों में इजाफा हो रहा है। खासकर मध्य भारत, दक्षिण—पश्चिमी तट, दक्षिणी प्रायद्वीप और उत्तर—पूर्वी भारत के क्षेत्रों में औसतन प्रति दशक 2 से अधिक बार अल्प वर्षा और सूखे दर्ज किए गए। यह चिंताजनक है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र में प्रति दशक 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। पर्याप्त आंकड़े, आकलन और चेतावनी के बावजूद अभी तक हमारा देश मानसून के बदलते मिजाज के अनुरूप खुद को ढाल नहीं पाया है। न हम उस तरह के जल संरक्षण उपाय कर पाए , न सड़क, पुल, नहर का निर्माण कर पाए। सबसे अधिक जागरूकता की जरूरत खेती के क्षेत्र में है और वहां अभी भी किसान उसी पारम्परिक कैलेंडर के अनुसार बुवाई कर रहा है। असल में पानी को लेकर हमारी सोच प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण है।

हमें पढ़ा दिया गया कि नदी, नहर, तालाब, झील आदि पानी के स्रोत हैं, हकीकत में हमारे देश में पानी का स्रोत केवल मानसून ही हैं, नदी—दरिया आदि तो उसको सहेजने का स्थान मात्र हैं। यह धरती ही पानी के कारण जीवों से आबाद है और पानी के आगम मानसून की हम कदर नहीं करते और उसकी नियामत को सहेजने के स्थान पर उसे हमने खुद उजाड़ दिया। गंगा—यमुना के उद्गम स्थल से छोटी नदियों के गांव—कस्बे तक बस यही हल्ला है कि बरसात ने खेत—गांव सब कुछ उजाड़ दिया। यह भी समझना होगा कि मानसून अकेले बरसात नहीं है यह मिट्टी की नमी, घने जंगलों के लिए अनिवार्य, तापमान नियंत्रण के अकेले उपाय सहित धरती के हजारों—लाखों जीव—जंतुओं के प्रजनन, भोजन, विश्थापन और निबंधन का भी काल है। ये सभी जीव धरती के अस्तित्व के महत्वपूर्ण घटक है। इंसान अपने लोभ में प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाता है उसे दुरुस्त करने का काम मानसून और उससे उपजा जीव—जगत करता है।

सभी जानते हैं कि मानसून के विदा होते ही उन सभी इलाकों में पानी की एक—एक बूंद के लिए मारा—मारी होगी और लोग पीने के एक गिलास में पानी आधा भर कर जल—संरक्षण के प्रवचन देते और जल जीवन का आधार जैसे नारे दीवारों पर पोतते दिखेंगे। मानसून शब्द असल में अरबी शब्द 'मौसिम' से आया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए अरबी मल्लाह इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। हकीकत तो यह है कि भारत में केवल तीन ही किस्म की जलवायु है — मानसून, मानसून—पूर्व और मानसून—पश्चात। तभी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है।

अधिवक्ताओं ने डीएम आवास पर किया जोरदार प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी

संवाददाता–देवरिया। अधिवक्ताओं का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को आक्रोशित अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के बाद डीएम आवास पर पहुंच गए। यहां जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। आंदोलन को देखते हुए कलेक्ट्रेट से लेकर जिलाधिकारी आवास तक बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही।

अधिवक्ताओं ने डीएम का दूसरी बार भेजा प्रस्ताव भी गुरूवार को ही नामंजूर कर दिया था। डीएम को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का 16 वें दिन भी धरना–प्रदर्शन जारी रहा। अधिवक्ताओं ने पहले डीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी की इसके बाद जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी आवास पर पहुंच गए। आंदोलन को देखते हुए यहां पहले से ही काफी अधिक संख्या में पुलिस मुस्तैद थी। जिलाधिकारी आवास पर आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करने के साथ ही जमकर नारेबाजी की।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरि, जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र, द कलेक्ट्रेट सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबीज के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर आंदोलन किया।

आंदोलन में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र राव, सुशील कुमार मिश्र, अशोक दीक्षित, विंध्यासागर मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिजेश दूबे, सुरेन्द्र त्रिपाठी, पूर्व सचिव मनोज कुमार मिश्र, प्रेम नारायण मणि, अनिल कुमार सिंह, संजय सिंह, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार तिवारी, मनोज तिवारी, शिवकुमार मणि, वरूण तिवारी, मनीष सिंह, वैभव कान्त मिश्र, श्रीराम सिंह, सुरेंद्र मिश्र, अर्जुन यादव, असीम आनंद मिश्र, मनोज मिश्र, विपिन पाठक, अरविंद पाण्डेय, विकास राय, अरूण कुमार राव आदि शामिल रहे।

मोहर्रम पर नहीं डाली जाएगी नई परम्परा, पुलिस को दें जानकारी

संवाददाता–श्रावस्ती। आगामी त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस व्यवस्था में जुट गई है। शांति समिति की बैठक कर लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। शुक्रवार को थानों में पीस कमेटी की बैठक कर लोगों से सौहार्द पूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई।

कोतवाली भिनगा में उपजिलाधिकारी पियूष जायसवाल की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक की गई। जिसमें एसडीएम ने लोगों से उनकी समस्याएं पूंछी व समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इसी तरह से क्षेत्राधिकारी भिनगा अतुल कुमार चौबे की ओर से थाना सिरसिया में शांति समिति की बैठक की गई। जिसमें ताजियादार, धर्मगुरु आदि शामिल हुए। बैठक में सीओ ने लोगों से बातचीत कर आगामी त्योहार मोहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने ताजिया जुलूस के रास्तों के बारे में जानकारी ली। साथ ही शासन के दिशा निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कोई नई परम्परा न चलायी जाय। सभी से शांति व कानून व्यवस्था को बनाएं रखेंगे। कहीं भी गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना मल्हीपुर में थानाध्यक्ष जयहरि मिश्रा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। कोई भी अराजकता फैलाने व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी।

तराई में चार दिनों में 400 मिमी बारिश रिकार्ड, वज्रपात का खतरा

संवाददाता–बहराइच। तराई के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश संग वज्रपात का भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बादलों की गर्जना के समय पेड़ व टिनशेड का सहारा लेने से बचें। इन जगहों पर वज्रपात होने की प्रबल संभावना रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी स्थिति से बचने व समय रहते जानकारी पाने के लिए मोबाइल पर दामिनी एप को डाउनलोड कर लें।

हिमालय की तलहटी में आबाद बहराइच आकाशीय बिजली के हाईरिस्क जोन में शामिल है। आसमान में बादलों की तेज गर्जना संग वज्रपात गिरने का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। समय रहते अलर्ट करने को लेकर कोई व्यवस्था जिला स्तर पर नहीं है। पिछले छह माह में कई लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर काल की गाल में समा चुके हैं। अब मानसूनी बारिश के दौरान भी तराई के मैदानी इलाकों में वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग ने जता दिया है।

गुरुवार की रात से ही बादलों में गड़गड़ाहट हो रही है। अब तक 400 मिमी बारिश रिकार्ड की जा चुकी है। हालांकि शुक्रवार को अब तक मानसून सत्र में सर्वाधिक 195 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। बारिश का क्रम अगले 24 घंटे तक ऐसा ही बना रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वज्रपात का भी खतरा है। इससे बचने के लिए पेड़, टिनशेड से दूरी बनाए रखें। मकानों के अंदर ही रहें, ताकि वज्रपात की स्थिति में बचा जा सके।

मौसम वैज्ञानिक डॉ. एमवी सिंह बताते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए दामिनी एप तैयार किया गया है। इस एप को मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यह कुछ मिनट पहले ही जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में वज्रपात होने का मैसेज साझा करेगा। पहले जानकारी होने से बचा जा सकेगा। इसको नजरअंदाज न करें, बल्कि ऐसे मौसम में उसे डाउनलोड कर लें।

झमाझम बरसात में गाजे-बाजे संग निकली पौधों की बारात

संवाददाता–गोण्डा। जिले में 51.99 लाख पौध रोपने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत एक जुलाई से हुई है। इसके तहत शुक्रवार सुबह आठ बजे शहर के टॉमसन इंटर कॉलेज से झमाझम बारिश के बीच गाजे–बाजे संग पौधों की बारात निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा और सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने इसमें हिस्सा लिया।

करीब डेढ़ किमी की यात्रा में लोगों के हाथों में रुद्राक्ष, आम, पीपल सहित अन्य प्रजाति के पौधों के साथ रथ पर रखे पौधे बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। इसमें एलबीएस, टामसन और रोजवुड इंटर कॉलेज के छात्र शामिल हुए। जिला पंचायत सभागार में पौधों की शोभायात्रा समाप्त हुई। यहां डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने अतिथियों के साथ कई पौधे रोपित कराए। इस दौरान एसडीओ सुदर्शन, रेंजर गोंडा बद्री प्रसाद चौहान, डिप्टी रेंजर दुर्गेश मिश्रा, अभिषेक प्रताप, अमित वर्मा सहित अन्य वन कर्मी मौजूद रहे।

संगोष्ठी में स्कूली बच्चों को पौधे वितरित किए गए। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने कहा कि कहा कि हम लोग एसी की गाड़ी में सफर जरूर करते हैं लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए पेड़ों के छांव की तलाश करते हैं। इसलिए पेड़ों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी। नवागत डीआईओएस राम चन्द्र ने कहा कि हम लोगों को एसी को भूलना होगा और पेड़ों से नाता जोड़ना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित हो सकेगा। इस दौरान उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर, बीएसए अतुल कुमार तिवारी, एलबीएस के मुख्य नियंता आरबी सिंह बघेल, रजनीश सिंह, जग मोहन यादव सहित अन्य मौजूद रहे। डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने कहा कि इस बार 51.99 लाख पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सभी से केंद्र सरकार की मुहिम एक पेड़ मां के नाम पर पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गोंडा–अयोध्या, गोंडा–जरवल, गोंडा–बलरामपुर और बहराइच मार्ग के दोनों तरफ एक प्रजाति के पेड़ लगाकर इन सड़कों को अलग पहचान दी जाएगी। डीएफओ ने कहा कि इन सड़कों पर पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़ के शुद्ध आक्सीजन देने वाले पौधों को लगाया जाएगा।

दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को दस वर्ष की सजा

संवाददाता–गोण्डा। अपर जिला जज सूर्य प्रकाश सिंह ने दहेज हत्या के जुर्म में पति, सास व ससुर को दस–दस वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पांडेय के अनुसार थाना करनैलगंज अंतर्गत ग्राम लोधनपुरवा हरसिंहपुर निवासी मोहर्रम अली ने थाना कौड़िया अंतर्गत ग्राम भगहरिया पूरे मितई तलवा निवासी मोहम्मद नईम , हफीज व कमरजहां के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी पुत्री मोशमाबानो की शादी आरोपी नईम के साथ की थी। ससुराल में उसे दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की जंजीर की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने दहेज हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपित अभियुक्तों को दहेज हत्या करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को दस–दस वर्ष की कैद व तीन–तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, महिला घायल

संवाददाता–देवरिया। भाटपाररानी रेलवे स्टेशन के समीप सोहनपार रेलवे ढाला पर भैंस चरा रही एक महिला तथा एक पुरुष ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है। घटना शुक्रवार की सुबह करीब पौने आठ बजे के आसपास की है।

भाटपाररानी रेलवे स्टेशन के पूरब सोहनपार रेलवे ढाला के पास हरिजन बस्ती है। हरिजन बस्ती निवासी रामनाथ प्रसाद (65) वर्ष पुत्र स्व. नागेसर प्रसाद व इसी टोला पर के रहने वाली अखली देवी (60) वर्ष पत्नी राजेंद्र प्रसाद शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे भैंस चरा रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन आने के बाद भैंस बचाने के चक्कर में रामनाथ प्रसाद व अखली देवी ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से दो भैंस समेत रामनाथ प्रसाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि अखली देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके दोनों पर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट है। आनन फानन में ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।

एसपी ने प्रशिक्षण इकाई का भ्रमण कर लिया जायजा

संवाददाता–श्रावस्ती। प्रशिक्षण इकाई में यूपी 112 में नामित 24 पुलिस कर्मियों का 15 दिवसीय फ्रेशर प्रशिक्षण चल रहा है। शुक्रवार को एसपी घनश्याम चौरसिया ने प्रशिक्षण इकाई का भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को मन लगाकर प्रशिक्षण लेने को कहा।

पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी पुलिस कर्मियों से परिचय प्राप्त कर कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कहा कि सभी लोग पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जिससे पुलिस और जनता में मधुर व्यवहार स्थापित हो सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ट्रेनिंग में दी जाने वाली समस्त जानकारियों को बेहतर ढंग से सीखें, जिससे हर हालात में बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बन सकें। प्रभारी निरीक्षक डायल–112 सुधीर सिंह ने ट्रेनिंग सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला प्रशिक्षण इकाई में यूपी 112 जनपद श्रावस्ती में 24 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण एक जुलाई से शुरू किया गया है। इस दौरान उन्हें आपातकाल सेवा, आपदा प्रबंधन, फायर संबंधी जानकारी आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे।

पूर्वाचार्य महंत अंबरदास महाराज संतो महंतों ने अर्पित की श्रद्धांजलि

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। भगवान श्री राम की जन्मस्थली सिद्ध और भजनानंदी संतों की तपस्थली रही है और उन्हें सिद्ध संतों में रामकोट में स्थित रामकचहरी मंदिर के पूर्वाचार्य महंत अंबरदास जी महाराज भी थे, शुक्रवार को श्रवण आषाढ़ कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि को मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर महंत शशिकांत दास महाराज के संयोजन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें अयोध्या के संतो महंतों ने श्री महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अंबरदास ने अपनी साधना–सिद्धि से इस स्थल को जीवंत किया और उनके अनुयाई सभी धर्म संप्रदाय के लोग थे श्री महाराज जी संत सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा, मां सरयू की सेवा करते रहते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए महंत शशिकांत दास महाराज भी आश्रम से जुड़ी सभी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।

महंत शशिकांत दास महाराज ने बताया कि वर्तमान समय से लगभग 300 वर्ष पूर्व श्री महाराज जी ने इस स्थान का जीर्णोद्धार कराया था और ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग से प्रभु श्री राम की कचहरी यही लगती थी और यहीं से वह पूरे भारतवर्ष के जनता जनार्दन को न्याय दिया करते थे आज हम लोगों को सौभाग्य है कि इस स्थान पर श्री महाराज जी की पुण्यतिथि मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसमें श्री अयोध्या धाम के ही नहीं बल्कि देश के कोने–कोने से संत महंत श्री महाराज जी की पुण्यतिथि पर पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में पधारे संतों महंतों का स्वागत सत्कार पत्थर मंदिर के महंत मनीष दास महाराज ने किया। इस अवसर पर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य , जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश कुमार दास, बावन मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ शरण, श्री राम आश्रम के महंत जयरामदास, श्री हनुमत निवास पीठाधीश्वर महंत मिथिलेश नंदिनी शरण, दंत धवन कुंड के महंत विवेक आचारी, श्री रंग महल के महंत रामशरण दास, हनुमानगढ़ के महंत रामकुमार दास, तुलसी छावनी के महंत जनार्दन दास, डांडिया मंदिर के महंत गिरीश दास, मधुकरिया संत एम बी दास सहित सैकड़ो संतु महंतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री रंगराघव भगवान को कराया गया जलाधिवास

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। संत शिरोमणि संत गोपाल दास जी महाराज के पूर्ण स्मृति में ऋण मोचन घाट स्थित नवनिर्मित श्री संत गोपाल मंडपम में चल रहे श्री रंगराघव भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जगतगुरु स्वामी कूरेशाचार्य जी महाराज किस संयोजन में श्रीकाञ्ची प्र.भ. जगद्गुरु गादिस्वामि श्रीनिवासाचार्य जी महाराज काञ्ची पुरी की अध्यक्षता में प्रातः 8 बजे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूजन के अंतर्गत ,ऋत्विज मानोन्मान–शान्ति–होम पाठ, सात्तुमरे तीर्थ वितरण किया गया और शाम को नित्य हवन पाठ पूर्णाहुति के बाद श्री रंगराघव भगवान को जलाधिवास–छायाधिवास कराया गया। स्वामी कूरेशाचार्य जी महाराज ने बताया कि देश के कोने–कोने से हजारों की संख्या में शिष्य भक्तगण श्री रंगराघव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं जिसमें तपोनिधि सिद्धसन्तवरेण्य ज्योतिर्वेदविद् श्रीस्वामी रामशरणाचार्य जी महाराज अयोध्यापुरी पधारे हैं हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं उन्हीं के साथ पूरे भारत से विद्वंजन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना आशीर्वचन देने के लिए पधार रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमज्जगद्घगुरु स्वामि वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज ने कहा कि भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं और चाहे जितने कारण हो भगवान के अवतार में लेकिन प्रमुख कारण भक्तों को सुख देना ही होता है और जब भक्त हृदय से प्रार्थना करते हैं तब प्रभु अवतार लेते हैं पृथ्वी से पाप को नष्ट करते हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब द्रोपदी धृतराष्ट्र की सभा में असहाय हो गई कोई सहायता करने वाला नहीं था तब उसने माधव को पुकारा और पुकारते ही क्षण मात्र भी नहीं लगा कि भगवान ने क्या बढ़ा दी और भारत में स्त्री मर्यादा की रक्षा की क्योंकि यहां हम माता को देवी मानते हैं उनकी पूजा करते है। कथा के विश्राम बेला में आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया।

मवन नाले का बांध टूटा, कमर तक पानी में घुसकर डीएम ने लिया जलमग्न फसलों का जायजा

संवाददाता–कुशीनगर। जिले के कप्तानगंज ब्लाक के भडसर ग्राम सभा के मलगहिया टोला के सामने मवन नाले का बांध टूट गया। इससे चार ग्राम सभाओं के किसानों की 500 से 600 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से डूब गई है। पानी लगातार बढ़ रहा है। अगल–बगल सटे गांव में भी पानी घुसने के आसार बन गए हैं। लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग व बाढ़ खंड के अधिकारियों को साथ लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कमर भर पानी में घुसकर निरीक्षण किया। तत्काल पानी रोकने के कदम उठाने के आवश्यक निर्देश दिए। डीएम के आदेश के क्रम में संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। टूटे हुए बंधे का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है।

डीएम उमेश मिश्रा ने शुक्रवार को ग्रामीणों से तहसील प्रशासन को मिली सूचना पर अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। मौके पर खेतों में कमर भर तक पानी भरा हुआ था। डीएम ने पानी की परवाह किए बगैर पैदल पानी भरे खेतों में उतर गए। काफी दूर तक कमर भर पानी में चलकर स्थिति की गंभीरता का आकलन किया। संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने के सख्त निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के क्रम में लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग एवं बाढ़ खंड के अधिकारी बांध टूटे बंधो के दुरुस्तीकरण तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से कार्यरत दिखे। मवन नाले का बंधा टूटने से भडसर, नारायण भडसर, कारीतिन तथा आंशिक रूप से सुधियानी गांव के किसानों की 500 से 600 एकड़ रकबे में लगी फसलें जलमग्न हो गयी हैं। डीएम के साथ लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन, तहसीलदार दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार जितेंद्र सिंह, राजस्वकर्मी विचित्र मणि त्रिपाठी, दिलीप सिंह, सत्येंद्र मल्ल, राहुल सिंह, मारकंडे गुप्ता, आशुतोष कुशवाहा इत्यादि उपस्थित रहे।

पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

संवाददाता–बहराइच। बहराइच वन प्रभाग के अब्दुल्लागंज रेंज की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह ने सिसैइया बीट में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि बिगड़ते पर्यावरण से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जिससे मानव जीवन,जीव–जंतु व पेड़ पौधों पर विपरीत असर पड़ रहा है। हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए।

जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा हो सके। रेंज अधिकारी पंकज साहू ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नागरिकों से पौधरोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शुद्ध वायु और शुद्ध जल आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। ये तभी संभव है, जब हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और अधिक से अधिक पौधरोपण करेंगे। राजेश सिंह ने कहा कि प्रदूषण को कम कर शहर को हरा भरा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर उनका संरक्षण करें। ताकि हमारा शहर व जिला हरा भरा रहे।

नवागत बीएसए से मिलकर शिक्षक समस्याओं के समाधान पर दिया जोर

संवाददाता–बलरामपुर। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जिला इकाई प्रतिनिधिमंडल नवागत बेसिक शिक्षाधिकारी शुभम शुक्ला से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए को जिले की कमान संभाले जाने पर बुके भेंट कर स्वागत किया। साथ ही संघ प्रतिनिधि मंडल ने श्रीदत्तगंज ब्लाक में नवनियुक्त अध्यापिका के मैटरनिटी लीव स्वीकृति पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। संघ मंडलीय महामंत्री अरुण कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष नवीन सिंह व सचिव उमेश कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संघ पदाधिकारियों से जिलाध्यक्ष ने परिचय कराते हुए शिक्षक समस्याओं से भी अवगत कराया। संघ प्रतिनिधि मंडल ने श्रीदत्तगंज ब्लाक में नवनियुक्त अध्यापिका के मैटरनिटी लीव के स्वीकृति पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। जिसे प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने समाधान किया। प्रतिनिधि मंडल ने नवागत बेसिक शिक्षाधिकारी को बुके भेंट का सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री उमेश चंद्र, जिला मंत्री चंद्र प्रकाश यादव, गुरु वचन, आलोक कुमार सिंह, मंडलीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, मंडलीय संयुक्त मंत्री सुशील सिंह, उपाध्यक्ष अजय सोनकर, संयुक्त मंत्री मनीष कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, संतोष त्रिपाठी, जितेंद्र मिश्रा, अजय कुमार सिंह व धनीराम आदि मौजूद रहे।

बाढ़ बचाव को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम

संवाददाता–बलरामपुर। राप्ती नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर तहसील प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत केंद्र व बाढ़ से बचाव के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह जानकारी उतरौला उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि लोग 7991441311 व 05265– 252469 नम्बर पर सम्पर्क कर बाढ़ बचाव सम्बन्धी सहायता ले सकते हैं। यह सेवा हर दिन 24 घंटे के लिए उपलब्ध है।

डीएम ने वीवी पैट वेयर हाउस का किया निरीक्षण

संवाददाता–बलरामपुर। डीएम पवन अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम व वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया।

बिना आधार व जोतबही के न करें उर्वरक का वितरण –डीएम

संवाददाता–श्रावस्ती। भारत नेपाल सीमा पर अवैध उर्वरक बेचने के बारे में डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में डीएम ने समय समय पर निरीक्षण कर उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही जरूरत अनुसार किसानों को उर्वरक मुहैया कराने को निर्देश दिया। लेकिन नेपाल सीमा पर हो रही तस्करी को देखते हुए बिना जोतबही के खाद न होने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सभी उर्वरक व्यवसायियों व सचिवों को निर्देश दिया कि उचित दर पर किसानों के आधार व जोतबही के अनुसार ही पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरण करें। जिससे वे टॉप–20 की सीमा में न आएं। यदि किसी उर्वरक विक्रेता की ओर से पीओएस मशीन व जोतवाही के बिना उर्वरक विक्रय किया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देशित किया कि पीओएस मशीन के साथ–साथ उर्वरक स्टाक व वितरण रजिस्टर अद्यतन रखें व किसानों को उर्वरक के साथ कोई टैगिंग न करें। बैठक में उप निदेशक कृषि की ओर से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसान अपने नजदीकी क्रय केन्द्र से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।

विद्युत महकमा एवं शिक्षा विभाग के नूरा कुश्ती में स्कूलों से नहीं हटे हाई टेंशन तार

संवाददाता–बलरामपुर। विद्युत महकमा एवं बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे नौनिहालों के लिए बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। विद्यालयों के ऊपर से निकले हाईटेंशन तार कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। एक तरफ सरकार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा के साथ–साथ सुरक्षा का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग की नूरा कुश्ती में 657 स्कूलों में हाईटेंशन तार दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। जुलाई 2019 में उतरौला तहसील के प्राथमिक विद्यालय नवानगर में अचानक करंट उतर जाने से 52 बच्चे झुलस गए थे। इस घटना से सबक लेते हुए तत्काल सरकार ने बिजली विभाग को परिषदीय स्कूलों के ऊपर अथवा आसपास से गुजरे हाईटेंशन तारों को हटाने का निर्देश दिया था। विद्युत महकमा ने सिर्फ प्राथमिक विद्यालय नवानगर का हाईटेंशन तार हटाकर अन्य स्कूलों की समस्याओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो भविष्य में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। जिले में 1575 प्राथमिक एवं 646 उच्च प्राथमिक स्कूल सहित कम्पोजिट विद्यालय सहित 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है। बीते वर्ष 2019 में उतरौला तहसील के नवानगर प्राथमिक विद्यालय में हाईटेंशन तार से करंट उतरने के कारण 52 बच्चे झुलसने से शासन प्रशासन हरकत में आ गया था। तत्काल 22 बच्चों को उतरौला के साजिदा अस्पताल एवं 29 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला सहित एक छात्र को चमरूपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। घटना को संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के स्कूलों के ऊपर एवं आसपास छूते हाईटेंशन तारों को हटवाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश आते ही तत्कालीन जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं तत्कालीन बेसिक शिक्षाधिकारी हरिहर प्रसाद ने ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कराकर बिजली विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए तत्काल हाई टेंशन तार हटवाने की बात कही थी। आनन–फानन में जिले में 657 विद्यालय चिन्हित किए गए। 29 जुलाई 2019 को तत्कालीन अवर अभियंता सदर जय प्रकाश पाल, हर्रैया सतघरवा विकास खंड में विकास चंद्र, तुलसीपुर में इंदु शेखर, श्रीदत्तगंज में रितेश पटेल, गैसड़ी में तबरेज खान, पचपेड़वा में कमलेश मिश्रा, उतरौला में संजीव कुमार यादव, गैंड़ास बुजुर्ग में प्रवेश कुमार एवं रेहरा बाजार में रितेश पटेल को खंड शिक्षाधिकारी ने स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई गईथी। मौजूदा समय में इनमें लगभग अवर अभियंताओं का अन्य जिले में स्थानांतरण भी हो चुका है, लेकिन आज तक इन विद्यालयों के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार नहीं हटवाए जा सके।

जिले में 657 परिषदीय स्कूलों को हाईटेंशन तार हटाने के लिए चिन्हित किया गया था। इनमें नगर शिक्षा क्षेत्र बलरामपुर एवं उतरौला में 12, सदर शिक्षा क्षेत्र में 28, शिवपुरा में 96, तुलसीपुर में 57, गैसड़ी में 179, गैंड़ास बुजुर्ग उतरौला एवं श्रीदत्तगंज में 56–56, पचपेड़वा में 83 व रेहरा बाजार में 32 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट स्कूलों की सूची तैयार कर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपा गया था। जिसमें सम्बन्धित अधिकारी को चिन्हित स्कूलों से तत्काल हाईटेंशन तारों को हटवाने के लिए कहा गया था। जानकारों की मानें तो कई स्कूल में परिसर अथवा उसके आसपास खुले में ट्रांसफार्मर भी रखे हुए हैं। बिजली महकमा ने सिर्फ प्राथमिक विद्यालय नवानगर में घटना–घटने के बाद तत्काल हाईटेंशन तार को हटवाया, अन्य की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो भविष्य में कभी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। तुलसीपुर तहसील मुख्यालय पर बने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं उसी से सटे प्राथमिक स्कूल तुलसीपुर दक्षिणी में हाईटेंशन तार दोनों स्कूलों के छत को पार कर रहा है।

आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, दो घायल

संवाददाता—संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में शुक्रवार की सुबह बाग में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। साथ ही एक महिला समेत दो लोग झुलस कर बेहोश हो गए। परिजन तीनों को इलाज के लिए सीएचसी हैंसर ले गए। वहां एक को मृत घोषित कर दिया। दो का इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुँची पुलिस ने पंचनामा लिखाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर गांव में शुक्रवार के सुबह निर्मला (55) पुत्री राम अवध, चन्द्रप्रकाश पुत्र राम नरायन व निर्मला पत्नी अलगू गांव के उत्तर पूर्व बाग में आम बीनने गए थे। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। अचानक चमक व गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से मृतक निर्मला पुत्री राम अवध गम्भीर रूप से झुलस गई। कुछ दूर पर ही आम बीन रहे चन्द्रप्रकाश व निर्मला पत्नी अलगू भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए। मौके पर पहुंचे परिजन झुलसे लोगों को इलाज के लिए सीएचसी हैंसर ले गए। वहाँ चिकित्सकों ने जांच के बाद निर्मला पुत्री राम अवध को मृत घोषित कर दिया। झुलसे हुए चन्द्रप्रकाश व निर्मला पत्नी अलगू का इलाज चल रहा है। परिजनों के पोस्टमार्टम न कराने की मांग पर पुलिस ने पंचनामा लिखाकर शव को परिजनों को सौंप दिया।

बारिश के बीच गिरी विद्यालय की बाउंड्री

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। विकास क्षेत्र शोहरतगढ़ के प्राथमिक विद्यालय भावपुर खालसा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच अचानक शुक्रवार को विद्यालय की बाउंड्री जमींदोज हो गई। बाउंड्री को गिरता देख विद्यालय के शिक्षक व बच्चे सहम गए। क्षेत्र के भावपुर खालसा में विद्यालय के सामने की ओर सड़क किनारे स्थित लगभग पचास फिट चहारदीवारी बारिश के पानी से नम होकर भरभराकर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि सड़क किनारे बाउंड्री से कोई चोटिल नहीं हुआ। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जर्जर भवनों व चहारदीवारी के लिए खतरा बना हुआ है।

मालिकाना हक के लिए मण्डलायुक्त से मुलाकात

संवाददाता—गोरखपुर। खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में अधिग्रहण से बाहर किए गए मकानों के रहवासियों ने शुक्रवार को मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा से मुलाकात की। मण्डलायुक्त ने उन्हें आश्वासत किया कि उनके मालिकाना हक के लिए जल्द ही जीडीए बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जंगल सिकरी उर्फ खोराबार मकान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा की अगुवाई में, राजमंगल राय, जयप्रकाश मिश्रा, पंकज तिवारी, फुलवदन दुबे, विमलेश त्रिपाठी, पूनम सिंह, उषा देवी, दयाराम, चन्द्रभूषण मालवीय, राजेन्द्र त्रिपाठी, देवेन्द्र राय, शशि रंजन पांडेय, रविन्द्र पांडेय, अनील मिश्रा, उमाशंकर यादव, अश्वनी मिश्रा, रोहित पाठक, सूरज मिश्रा, सुधीर मिश्रा, गया प्रसाद दूबे, राजेन्द्र सिंह, हरिशरण गुप्ता समेत अन्य ने मण्डलायुक्त से मुलाकात की।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 126/91
वीरू
बनाम
रामजी आदि
2/1 यशोदा देवी उम्र करीब 65 साल पत्नी स्व0 हीरालाल 2/2 विजय उम्र करीब 30 साल पुत्र स्व0 हीरालाल 2/3 उर्मिला उम्र करीब 35 साल 2/4 सुधा आयु 32 साल पुत्रगीण स्व0 हीरालाल निवासीगण मौजा विशुनपुरवा तप्पा चुरेब परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर
तारीख पेशी 09—07—2024
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 09 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जवाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 05 माह 07 सन 2024 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

जुर्म स्वीकार करने पर आबकारी एक्ट में एक हजार का अर्थदण्ड

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले में जुर्म स्वीकार करने पर आबकारी अधिनियम के एक आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी खुर्शीद बंजारा पर एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दस दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने विवेचना के पश्चात खुर्शीद बंजारा पुत्र हजारी बंजारा ग्राम बंजरिया थाना बखिरा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विचारण के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 51/2022
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती महोदय जिला—बस्ती
नेबूलाल
बनाम
शिव प्रसाद
1. शिव प्रसाद पुत्र मुसई साकिन करमी बुजुर्ग तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 08—08—2024
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 08 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत बक्सर विकास खण्ड-बस्ती सदर, जनपद-बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बक्सर** विकासखंड **बस्ती सदर** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024—25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाडू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूडादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 06—07—2024 से दिनांक 12—07—2024 को 01:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **बक्सर** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 13—07—2024 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1— अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2— जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3—आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5— ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6— धरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7— धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **बक्सर** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8— निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9— आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10— सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11— सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12— आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढवत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14— निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15— निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16— निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

मेहताब आलम	आनन्द सिंह
ग्राम प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत—बक्सर	ग्राम पंचायत—बक्सर
विकास खण्ड—बस्ती सदर जनपद बस्ती	विकास खण्ड—बस्ती सदर जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत बाघापार बजहा विकास खण्ड-बनकटी, जनपद-बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बाघापार बजहा** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024—25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाडू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूडादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 06—07—2024 से दिनांक 12—07—2024 को 01:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **बाघापार बजहा** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 13—07—2024 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1— अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2— जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3—आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5— ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6— धरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7— धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **बाघापार बजहा** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8— निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9— आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10— सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11— सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12— आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढवत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14— निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15— निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16— निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

मेराज अहमद	आशुतोष पटेल
ग्राम प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत—बाघापार बजहा	ग्राम पंचायत—बाघापार बजहा
विकास खण्ड—बनकटी जनपद बस्ती	विकास खण्ड—बनकटी जनपद बस्ती

ट्रैक्टर से गिरने से एक की मौत

संवाददाता—संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बासगांव में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। वह पंजाब प्रांत के भाई पट्टी समाऊ मनसा का रहने वाला था। कोतवाली पुलिस के अनुसार पंजाब प्रांत के भाई पट्टी समाऊ मनसा निवासी लाली सिंह पुत्र शेर सिंह बासगांव में अजीत पाण्डेय पुत्र ब्रह्मानंद के यहां काम करता था। वह बोरिंग मशीन की ऑपरेटिंग का काम करता था। गुरुवार की रात लगभग 11.20 बजे ट्रैक्टर पर से गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) इण्टर मीडिएट वर्ष **2016** अनुक्रमांक **1996087** का अंक पत्र, सह अंक पत्र, प्रमाण—पत्र वास्तव में खो गया है।
(सुमित कुमार गोस्वामी)
पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद
ग्राम व पोस्ट— नगहरा
जनपद— बस्ती।

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 226/2023
पवन कुमार प्रजापति—सायल
1. पवन कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 रामकिशुन 2. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामकिशुन निवासीगण ग्राम बघाड़ी तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला—बस्ती
तारीख पेशी 11—07—2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालात हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 11—07—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 33/2023
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती महोदय जिला—बस्ती
रविन्द्र कुमार
बनाम
बंश गोपाल आदि
1. बंश गोपाल 2. कृष्ण गोपाल 3. इन्द्र गोपाल पुत्रगण राम प्रसाद 4. संजय चौधरी 5. अभय चौधरी पुत्रगण कालेन्द्र प्रसाद 6. मु0 पुष्पा बेवा कालेन्द्र प्रसाद समस्त निवासीगण मौजा रघऊपुर तप्पा कुदरहा परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 06—08—2024
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 06 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजवीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय—श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट प्रथम बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्ण अपील सं0 78/2015
डा0 मो0 हुसेन आदि
बनाम
शौकत अली आदि
1/1 हैदर अली पुत्र शौकत अली 1/2 अख्तर अली पुत्र शौकत अली निवासी मौजा कटरा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला बस्ती पोस्ट गांधी नगर
तारीख पेशी 16—07—2024
चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्शित करने के लिये 2024 के माह 07 के 16 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 68/2024
मूलवाद सं0 92/2001
बाबूलाल
बनाम
राधेश्याम आदि
2/1 विश्वभर राय उम्र लगभग 50 साल 2/2 बलराम राय उम्र लगभग 48 साल 2/3 संजय कुमार राय उम्र लगभग 40 साल 2/4 अरविन्द कुमार राय उम्र लगभग 38 साल पुत्रगण हरीराम राय सभी निवासीगण ग्राम बालूशासन तप्पा उतरावल परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर
तारीख पेशी 05—08—2024
हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।
लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 05 माह 08 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जवाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।
बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 05 माह 07 सन 2024 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत हसनापुर विकास खण्ड-सल्टौआ गोपालपुर, जनपद-बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हसनापुर** विकासखंड **सल्टौआ गोपालपुर** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024—25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाडू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूडादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 06—07—2024 से दिनांक 10—07—2024 को 01:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **हसनापुर** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 11—07—2024 को अपरान्ह 2:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1— अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2— जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3—आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5— ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6— धरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7— धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **हसनापुर** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8— निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9— आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10— सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11— सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12— आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढवत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14— निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15— निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16— निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

कुसुम	अमरनाथ गौतम
ग्राम प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत—हसनापुर	ग्राम पंचायत—हसनापुर
विकास खण्ड—सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती	विकास खण्ड—सल्टौआ गोपालपुर जनपद बस्ती

कार्यालय ग्राम पंचायत चेनुआ मेहरा विकास खण्ड-बनकटी, जनपद-बस्ती

अल्पकालीन निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **चेनुआ मेहरा** विकासखंड **बनकटी** द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना/ 15 वीं वित्त/स्वच्छ भारत मिशन/ SLWM/RGSA योजना अंतर्गत 2024—25 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (इंटरलॉकिंग इंट, प्रथम श्रेणी इंट, सीमेंट, सादा बालू, मोरंग, इंट की गिट्टी, पत्थर की गिले, छाड पेट, बोर्ड होम पाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सफाई ठेला कुदाल, झाडू, ब्लीचिंग पावडर चूना, कूडादान, सेनेटाइजर मशीन, फागिंग मशीन, इंडिया मार्का टू हैड पंप, रिबोर व मरम्मत की सामग्री एवं अन्य सरकारी निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। जिसके हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 06—07—2024 से दिनांक 12—07—2024 को 01:00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा फॉर्म वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **चेनुआ मेहरा** में रखे गए निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा दिनांक 13—07—2024 को अपरान्ह 2:00 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

नियम व शर्ते

1— अधिकृत फर्म अधिकृत डीलर का जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 3 वर्ष कर आयकर क्लीयरेंस सलग्न करना अनिवार्य है।
2— जो दरें प्रस्तुत की जाए व जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर प्रस्तुत की जाए।
3—आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2 फीसदी आयकर टीडीएस देना होगा। प्रस्तुत दरें पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के समय अनुसार तय दर पर ही भुगतान किया जाएगा।
5— ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान/अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं कि जाएगी।
6— धरोहर की धनराशि मु. 5000 (पांच हजार) है।
7— धरोहर की राशि राष्ट्रीय कृत बैंकों एडीआर एन एससी/नगर एवं डाकघर में बचत पत्र जो ग्राम पंचायत **चेनुआ मेहरा** के नाम बंधक हो, की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8— निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सचिव एवं ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी।
9— आदेश देने के 7 दिनों के अन्दर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10— सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी।
11— सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
12— आपूर्ति कर्ता को भुगतान अवर अभियंता (ग्रा.अभि.वि.)/तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुढवत्ता प्रामाणित होने पर तथा मापन के उपरांत किया जाएगा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
13— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 है, पर ही स्वीकार किया जाएगा ।
14— निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निधारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
15— निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा।
16— निविदा के सबंध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

रामकवल	आशुतोष पटेल
ग्राम प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत—चेनुआ मेहरा	ग्राम पंचायत—चेनुआ मेहरा
विकास खण्ड—बनकटी जनपद बस्ती	विकास खण्ड—बनकटी जनपद बस्ती

दैनिक
भारतीय बस्ती
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक—दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक—प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com